न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :—31/2020

निर्णय दिनांकः—22.06.2020

उनवान

तहसीलदार निवाई

—प्रार्थी/आवेदक

बनाम

गोपाल वगै0

—अनावेदक

प्रा.पत्र अन्तर्गत 136 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि आराजी ख.नं. 526/460, 527/460 एवं 528/460 वाके ग्राम बाढदामोदरपुरा तहसील निवाई में स्थित है। जिसमें ख0न0 526/460 में खातेदार गोपाल पुत्र लाला कोम मीना, ख0न0 527/460 में खातेदार मदन पुत्र अर्जुन मीना एवं 528/460 में खातेदार 528/460 रामजीलाल पुत्र लादू मीना के नाम दर्ज है। तहसीलदार निवाई एवं पटवारी हल्का मुण्डियॉ ने DILRMP Program के अन्तर्गत Digitized सीटों में मौका कब्जा के आधार पर खसरा नम्बर की शीटो में तरमीम का सहमति पत्र में अंकितानुसार काबिज खातेदार है। एवं तहसीलदार निवाई ने निवेदन है कि मौका कब्जा के आधार पर खसरा नम्बर की शीटो में तरमीम का सहमति पत्र में अंकितानुसार काबिज खातेदार किये जाने का आदेश पारित फरमावें।

उक्त पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमें खातेदार गोपाल पुत्र लाला कोम मीना की मृत्यु होने पर उसकी पत्नि लक्ष्मा देवी को तामील करवाई गई।

प्रतिपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी व पेराकार सरकार की बहस सुनी गयी। बहस में प्रस्तुत प्रा.पत्र का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 526/460, 527/460 एवं 528/460 वाके ग्राम बाढदामोदरपुरा तहसील निवाई में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार निश्चित है तथा मौके पर काबिज अनुसार तरमीम कर दी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार निवाई एवं पटवारी हल्का मुण्डियॉ ने DILRMP Program के अन्तर्गत Digitized सीटों में मौका कब्जा के आधार पर खसरा नम्बर की शीटो में तरमीम का सहमति पत्र में अकिंत निम्नानुसार प्रकरण की अभिशंषा के साथ भिजवाया है।

क्र0स0	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार
1	526/460	3 बीघा 10 बिस्वा	मुकेश पुत्र गोपाल, कौशल्या गीता सन्ती पुत्रिया गोपाल, लछमा पत्नि गोपाल कोम मीना
2	527/460	3 बीघा 10 बिस्वा	मदन पुत्र अर्जुन मीना
3	528/460	3 बीघा	रामजीलाल पुत्र लादू मीना

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner

अतः DILRMP Program के अन्तर्गत Digitized सीटों में मौका कब्जा के आधार पर खसरा नम्बर की शीटो में तरमीम का सहमति पत्र एवं तहसीलदार निवाई की अभिशंषा अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की प्रस्तावनुसार राजस्व रिकॉर्ड करें।

यह निर्णय आज दिनांक 22.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे.पी. बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner